कृषि महाविद्यालय

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर--जयपुर)

झिलाई (निवाई)- 304025 टोंक (राजस्थान)

डॉ. आर. एस. मीणा
अधिष्ठाता

Ph. No. 09414543695
Email: dean.coajhilai@sknau.ac.in

No.F. /COAJ/Store/2024/ 1352 **Dated: 11-09-2024**

खुली निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता हैं कि कृषि महाविद्यालय, झिलाई, निवाई (टोंक) के वित्तीय वर्ष 2024–25 (अक्टूबर 2024 से जुलाई 2025) में निम्न कार्यो की आवश्यकतानुसार श्रमिक आपूर्ति के लिए इच्छुक आपूर्तिकर्ताओं/फर्मो/सेवाप्रदाताओं संस्थाओं जिनके पास श्रमिक आपूर्ति लाईसेन्स हो, निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 26-09-2024 को प्रात 11.30 बजे तक सीलबन्द निविदाऐं द्वि बिड पद्धति (तकनीकी एवं वित्तीय) आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र एवं निविदा की सभी शर्ते कार्यालय दिवस में निविदा शुल्क रूपये 500/– अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, झिलाई, के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट, बैंकर चैक या नगद राशि का भुगतान कर दिनांक 26-09-2024 प्रात 10.30 बजे तक प्राप्त किये जा सकतें हैं अथवा www.sknau.ac.in एवं sppp.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकतें हैं। प्राप्त निविदाऐं उसी दिन अपराह्न 1.30 बजें उपस्थित निविदादाताओ के समक्ष कृषि महाविद्यालय, झिलाई की कमेटी द्वारा खोली जावेगी। निविदा को सम्पूर्ण अथवा किसी भाग को बिना किसी कारण बताए निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

क्र. सं.	कार्य विवरण	अनुमानित राशि (रू)	2 प्रतिशत धरोहर राशि
1.	कृषि महाविद्यालय, झिलाई में ऑफिस कार्य, प्रयोगशाला कार्य, कम्प्यूटर ऑपरेटर, सुरक्षाकर्मी, साफ–सफाई, कृषि कार्य, उद्यानिकी कार्य एवं अन्य कार्य हेतु उच्च कुशल, कुशल, अर्ध्दकुशल, व अकुशल श्रमिक आपूर्ति हेतू।	9,95,000.00	19900.00

अधिष्ठाता

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आंवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदय, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
2. श्रीमान अधिष्ठाता व संकाय अध्यक्ष, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
3. श्रीमान वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को भेजकर निवेदन है कि नियत तिथि पर आप अपनें मनोनीत सदस्य को कृषि महाविद्यालय, झिलाई मे भिजवाने का श्रम करवाये।
4. श्रीमान कोषाधिकारी, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
5. टेण्डर कमेटी सदस्य/स्थापना शाखा/लेखाशाखा, कृषि महाविद्यालय, झिलाई (टोंक)।
6. श्रीमान प्रभारी, सिमका श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को प्रेषित कर लेख है कि विश्वविद्यालय वेबसाइट www.sknau.ac.in पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।
7. मैसर्स..।
8. नोटिस बोर्ड कृषि महाविद्यालय–झिलाई/उपखण्ड कार्यालय–निवाई/तहसील कार्यालय–निवाई/ग्राम पंचायत झ़िलाई के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
9. स्थापना शाखा/रक्षित फाइल।

अधिष्ठाता

अधिष्ठाता
कृषि महाविद्यालय
(श्रीकन कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)
झिलाई, निवाई (टोंक)

कृषि महाविद्यालय, झिलाई (लिफाफा नं. 1 में रखना है)

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)

श्रमिक आपूर्ति निविदा प्रपत्र–1

1. ....के लिए निविदा (कार्य का नाम जिसके लिए निविदा प्रस्तुत की है)
2. निविदा प्रस्तुत करनें वाले का नाम व पता.. ....
3. नाम व पता जिसको निविदा प्रस्तुत की गयी है: अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, झिलाई (टोंक)
4. सन्दर्भ : ....
5. बिड सिक्यूरिटी के सम्बंध में घोषणा पत्र **(Declaration)** निर्धारित प्रारुप में राज्य सरकार के नियमानुसार प्रस्तुत किया गया हैं।
6. हम निविदा सूचना संख्या.......................दिनांक....................... की सभी शर्तों से सहमत है एवं साथ ही निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न सीट की सभी शर्तें मंजूर है, हमारी स्वीकृति के लिए सभी पृष्ठों पर हमनें हस्ताक्षर कर दिये है।
7. ड्राफ्ट नं./ चैक नं./ नगद रसीद नं..............................दिनांक.......................रूपये............ धरोहर राशि हेतु संलग्न है।
8. GST सर्टिफिकेट और श्रमिक विभाग में पंजीकरण प्रति संलग्न करे।
9. PAN Card/आधार कार्ड की प्रति संलग्न करें।
10. 3 वर्षीय वित्तीय विवरणिका।

अधिष्ठाता
कृषि महाविद्यालय
श्रीकन कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)
झिलाई, निवाई (टोंक)

हस्ताक्षर निविदादाता

अधिष्ठाता

कृषि महाविद्यालय, झिलाई (लिफाफा नं. 1 में रखना है)

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)

श्रमिक आपूर्ति

<u>तकनीकी निविदा प्रपत्र–2</u>

निविदाताफर्म का नाम व पता मय दूरभाष :– ....

1. जी.एस.टी. नं. (छाया प्रति संलग्न करे)
2. आवश्यकतानुसार श्रमिक सप्लाई करना होगा।
3. शर्तो पर सहमति हेतु हस्ताक्षर मय सील।
4. निविदादाता के पास श्रमिक आपूर्ति का केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
5. सफल निविदादाता को रूपये 500/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर अनुबंध पत्र करना होगा तथा कार्य सम्पादन राशि 5 प्रतिशत (रू.) (धरोहर राशि रू. 2% को समायोजित करते हुए) अनुबंध पत्र लिखने से पहले डी.डी. के रूप में देना होगा।
6. निविदा को स्वीकार एवं अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को रहेगा।
7. निविदा सीलबंद लिफाफे में बन्द कर जमा की जावेगी, तथा तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग लिफाफे में स्वीकार किया जावेगा।
8. श्रमिको को कृषि महाविद्यालय में ऑफिस कार्य, प्रयोगशाला कार्य, कम्प्यूटर ऑपरेटर, सुरक्षाकर्मी, साफ–सफाई, कृषि कार्य, उद्यानिकी कार्य एवं अन्य कार्य आदि हेतु लगाया जा सकता है।
9. बिल भुगतान हेतु श्रमिको का भुगतान करके मय आवश्यक दस्तावेजो जैसे. राशि स्थानान्तरण का विवरण व अन्य सहित बिल माह की 7 तारीख तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा, साथ श्रमिको के भुगतान समयानुसार नही करनें की स्थिति में अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा आपकी फर्म पर पेनल्टी लगाये जाने का अधिकार रहेगा।
10. किसी भी प्रकार के विवाद के निपटारे हेतु विवाद कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) के आबीटेशन में प्रस्तुत करना होगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
11. Registration of Labour Department (Photo Copy)
12. Registration of GST, ESI & EPF (Photo Copy)
13. PAN No. -- (Photo Copy)
14. तकनीकी बिड (लिफाफा नं. 1) पूर्ण होने पर ही निविदादाता का लिफाफा नं. 2 वित्तीय बिड खोला जावेगा।

नोटः निविदा के साथ दिए हुए सारे प्रपत्र निविदा फार्म के साथ भरकर संलग्न करें ।

हस्ताक्षर निविदादाता

अधिष्ठाता

अधिष्ठाता
कृषि महाविद्यालय
(श्रीकन कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)
झिलाई, निवाई (टोंक)

कृषि महाविद्यालय, झिलाई

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)

निविदा प्रपत्र

(लिफाफा नं. 1 में रखे)

कृषि महाविद्यालय पर विभिन्न कार्यो के लिए कुशल, अर्ध्दकुशल व अकुशल श्रमिक आपूर्ति हेतु निविदा।

क्र. सं.	कार्य का विवरण
1	योजना का नाम – कृषि महाविद्यालय, झिलाई (टोंक) के परिसर पर उच्च कुशल, कुशल, अर्द्धकुशल व अकुशल श्रमिक।
2	निविदा प्रस्तुत करनें वाले का नाम व पता ....
3	नाम व पता जिसको निविदा प्रस्तुत की गयी हैः अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, झिलाई।
4	निविदा संदर्भः–
5	बिड सिक्यूरिटी के सम्बंध में घोषणा पत्र निर्धारित प्रारूप में राज्य सरकार के नियमानुसार प्रस्तुत किया गया है
6	हम निविदा सूचना संख्या .... दिनांक .... की शर्तो से सहमत है एवं साथ ही निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न सीट की सभी शर्ते मंजूर है, हमारी स्वीकृति के लिए सभी पृष्ठों पर हमनें हस्ताक्षर कर दिये है।
7	निविदा प्राप्त करने का समयः– कार्यालय कार्य दिवस में
8	निविदा प्राप्त करने की अन्तिम तिथि व समयः– दिनांक 26-09-2024 को प्रात 10.30 बजे
9	निविदा जमा कराने की अन्तिम तिथिः– दिनांक 26-09-2024 को प्रात 11.00 बजे
10	निविदा खोलने की तिथिः– 26-09-2024 को 1.00 p.m. बजे
11	निविदा खोलने का स्थानः– कृषि महाविद्यालय, झिलाई
12	पत्र व्यवहार हेतु पताः– अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, झिलाई–टोंक (राजस्थान) 304025
13	फर्म द्वारा घोषणा कि फर्म काली सूची में नही है(प्रपत्र–स) । एवं Fall clause प्रमाण पत्र(प्रपत्र–द)
14	वित्तीय विवरण (प्रपत्र–य)
15	दरें प्रपत्र–2 में दर्शाई गई तालिका में लिफाफा नं. 2 वित्तीय निविदा में देनी है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में विभिन्न कृषि कार्यो हेतु कृषि श्रमिक आपूर्ति हेतु निविदा।

1. बोलीदाता/संवेदक द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार किया जावेगा। (संलग्न लिफाफा नं.1 में रखे)

क्र.सं.	विवरण	रजि. सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन अधिनियम1970)				
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952				
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948				
4	वस्तु एवं सेवा कर जी.एस.टी.				
5	आयकर (पैन नम्बर)				
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर

तिथि पूर्ण पता एवं मोबाईल नम्बर

अधिष्ठाता

अधिष्ठाता
कृषि महाविद्यालय
(श्रीकन कृषि विश्वविद्यालय, जोब
झिलाई, निवाई (टोंक)

निविदा हेतु शर्ते

परिशिष्ट संख्या –1

प्रपत्र – ''ब''

(तकनीकी बिड)

लिफाफा नं. 01

श्रमिक आपूर्ति हेतु निविदा के लिए निर्धारित शर्ते :–

1. लिफाफा नं. 01 में वित्तीय बिड के अतिरिक्त अन्य सभी आवश्यक दस्तावेज, संलग्न बोली प्रतिभूति राशि रू 19900/– तथा वेबसाइट से निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने से निविदा प्रपत्र शुल्क रू 500/– का नकद/DD/BC अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, झिलाई (टोंक) के पक्ष में लिफाफा नं. 01 में रखें। निविदा प्रपत्र राशि एवं प्रतिभूति राशि का डीडी/बैंकर चैक/नगद रसीद अलग–अलग रहेगी।
2. लिफाफा नं. 02 में केवल वित्तीय बिड यानि निविदादाता द्वारा दिये गये मजदूरी दर प्रतिदिन रहेगी तथा यह तभी खोली जायेगी यदि निविदादाता तकनीकी बिड में सफल रहता है।
3. दोनों लिफाफों नं. (01 व 02) को एक लिफाफे में रखकर सील कर प्रस्तुत करना हैं।
4. निविदादाता को किसी भी प्रकार का कोई अग्रिम भुगतान नही किया जायेगा। प्रत्येक कार्यादेश/कार्यादेश का कार्य संतोषप्रद रूप से पूर्ण होने एवं महाविद्यालय में स्वीकार करने के बाद ही भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
5. निविदादाता निविदा कार्य तथा शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ पर मुहर सहित हस्ताक्षर करेगा तथा निविदा के अंतिम पृष्ठ पर सभी शर्तो को सम्पूर्ण रूप में स्वीकार करनें की सहमति देते हुए अलग से हस्ताक्षर करेगा ।
6. किसी भी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, झिलाई को होगा।
7. निर्धारित समय में आपूर्ति नही करने राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 एवं राज्य सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों व अन्य प्रचलित नियमों के अनुसार राशि वसूल (L.D.) की जाएगी ।
8. कयादेश/कार्यादेश के अनुसार श्रमिकों की आपूर्ति करनी होगी।
9. सफल निविदादाता के पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से श्रमिको की आपूर्ति करने में असफल रहने मर अथवा आपूर्ति/कार्य संतोषजनक नही करनें पर अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, झिलाई को यह अधिकार होगा कि अनुमोदित फर्म के हर्जे खर्चे पर पेनल्टी सहित अन्य व्यवस्था द्वारा आदेशित कार्य/आपूर्ति अन्य फर्म से करा सकेंगे। इसके साथ ही बोली प्रतिभूति एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance security) जब्त की जा सकेगी।
10. समस्त निविदा प्रपत्र दिनांक 26-09-2024 को प्रात 10.30 बजे तक अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, झिलाई (टोंक) से प्राप्त किए जाकर दिनांक 26-09-2024 को प्रातः 11.30 बजें तक स्वीकार किए जाएगें एवं जो निविदा समिति द्वारा दिनांक 26-09-2024 को 1.30 pm बजें उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोले जाएँगें। अपूर्ण एवं निर्धरित दिनांक व समय के पश्चात प्राप्त होने वाले निविदा प्रपत्रों पर विचार नही किया जाएगा।
11. उपर्युक्त शर्तो के अतिरिक्त अन्य शर्ते निविदा सूचना राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में उल्लेखित नियम–68 एवं वित्त विभाग, राजस्थान की अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 के प्रावधानानुसार लागू होगी।
12. प्रस्तावित निविदा सीलबन्द होनी चाहिए। निविदा का विवरण लिफाफे के ऊपर साफ लिखकर श्रीमान अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, झिलाई स्पष्ट लिखकर कार्यलय में प्रस्तुत करें।
13. प्रस्तावित दर अंको में स्पष्ट. लिखकर देना होगा। किसी भी प्रकार की काट छांट होने पर निविदा स्वीकार नही की जावेगी। उक्त दरे 31.07.2025 तक मान्य होगी जिसे आपसी सहमति से 3 माह तक के लिए बढाया जा सकता है।
14. सफल निविदादाता को रूपये 500/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर अनुबंध पत्र करना होगा तथा कार्य सम्पादन राशि 5 प्रतिशत (रू.) (धरोहर राशि रू. 2% को समायोजित करते हुए) अनुबंध पत्र लिखने से पहले डी.डी. के रूप में देना होगा।
15. फार्म पर ऑफिस/कृषि कार्यो के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने, साप काटने, बिजली से व अन्य किसी उपकरणों से या लापरवाही से दुर्घटना होने पर महाविद्यालय प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नही होगी तथा पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता ठेकेदार/ फर्म की होगी।
16. निविदादाता/फर्म का केन्द्र/राज्य सरकार के श्रम विभाग के अधिनियमों के प्रचलित नियमों के अन्तर्गत पंजीकरण होना वांछित हैं। पंजीकरण संख्या व उसका प्रमाण पत्र संलग्न करना जरूरी है।
17. निविदादाता/फर्म पिछलें 3 साल का टर्न ओवर ('प्रपत्र अ') प्रमाण–पत्र सी.ए. से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करें।

अधिष्ठाता
कृषि महाविद्यालय
(श्रीकन कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)
झिलाई, निवाई (टोंक)

18. प्रस्तावित दर देने से पूर्व समस्त प्रविष्टि को ध्यानपूर्वक पढें एवं प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। अन्यथा अधोहस्ताक्षरकर्ता को निविदा निरस्त करनें का पूर्ण अधिकार होगा।

19. निविदा प्रपत्र कार्यालय में कार्य दिवस में रूपयें 500/– जमा करा कर प्राप्त किया जा सकता है।

20. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ ई.एस'आई करवाने/ सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिए इस संस्था की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

21. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।

22. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण–पत्र की सत्यापित पूर्ण रूप से भरें हुए बोली दस्तावेज़ के साथ इस संस्था को प्रस्तुत की जावेगी।

23. निविदा सूचना में प्रकाशित शर्ते राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में उल्लेखित नियम–68 एवं वित्त विभाग, राजस्थान की अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 की शर्तो निविदा का भाग मानी जाएगी।

24. निर्धारित समय में कार्य सम्पन्न नही करने पर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 एवं राज्य सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों व अन्य प्रचलित नियमों के अनुसार राशि वसूल की जाएगी ।

25. कृषि महाविद्यालय, झिलाई द्वारा निर्धारित दर (जो निविदा फार्म में दर्शायी गयी हैं) से कम प्रस्तुत की गई दरो को स्वीकार नही किया जावेगा।

26. न्युनतम मजदुरी दर राजस्थान सरकार (श्रम विभाग) द्वारा जारी परिपत्र कमांक एफ.8(5)(6) न्यू.म.अभि./आई.आर. /श्रम/2020/पार्ट/15340 जयपुर, दिनांक 30.07.2021 के अनुसार लागू होगी।

27. निविदा निर्धारित प्रपत्र में ही भरनी होगी।

28. यदि इस संस्था को अंशकालिक (पार्ट–टाइम) मानव संसाधनों की सेवाओं की 4 घण्टे से कम अवधि के लिए आवश्यकता हो तो ऐसी अंशकालिक सेवा का बोली दस्तावेजों में स्पष्ट उल्लेख करते हुए सम्बन्धित उपापन संस्था द्वारा बिड सम्बन्धी कार्रवाई की जावेगी। ऐसे अंशकालिक मानव संसाधन जिनकी सेवाएं 4 घण्टे से कम अवधि के लिए ली जायेंगी उन्हें उनकी सेवाओं के विरूद्ध न्यूनतम मजदूरी का गणना श्रम विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की 50 प्रतिशत राशि पर की जायेगी।

29. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर मे श्रम विभाग की अधिसूचना से समय–समय पर वृद्धि होने पर इस संस्था द्वारा संवेदक को बढी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

30. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खाते में जमा कराई राशि का विवरण इस संस्थों को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गयी राशि के विवरण के बाबत् इस संस्था कि संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।

31. विश्वविद्यालय द्वारा निविदादाता/फर्म के श्रमिक बिलों के भुगतान में अगर किसी कारणवश देरी होती है तो भी श्रमिकों को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक भुगतान करना आवश्यक होगा एवं भुगतान करने की प्रमाणित प्रति एवं आवश्यक दस्तावेजो सहित बिल 7 तारीख तक प्रस्तुत करना होगा। बिल प्रस्तुत करने एवं देरी से भुगतान करनें की स्थिति पर कॉलेज कमेठी द्वारा निर्धारित पेनल्टी के हिसाब से अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, झिलाई में शास्ति (पेनल्टी) की राशि जमा करवानी होगी। भुगतान देरी से होने पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नही होगा।

32. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिको को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।

33. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों एवं शासन उपसचिव कृषि विभाग (ग्रुप–3) के पत्र कमांक पं. 3(3)कृषि–3/2021 जयपुर दिनांक 20.12.2021 के निर्देशानुसार श्रमिको के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. की राशि का अलग से विभागानुसार ECR(Electronic Challan Cum Return). से जमा करवाकर प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करनें के पश्चात ही आगामी माह का भुगतान किया जावेगा।

34. संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display boards लगाये जायेंगे, जिन पर संवेदक का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, श्रमिकों हेतु Helpline नम्बर एवं संवेदक द्वारा मजदूरी नही करने की शिकायत करने सम्बन्धी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।

अधिष्ठाता
कृषि महाविद्यालय
(श्रीकन कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)
झिलाई, निवाई (टोंक)

35. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपनें समस्त श्रमिको का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।

36. संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवानें की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा करायें गयें वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान के आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान के प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नही किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

37. श्रम विधि के अंतर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अंतर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं दिशा–निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिए संवेदक स्वंय उत्तरदायी होगा।

38. यदि संबेदक एवं कार्य पर लगायें गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिए उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्टापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

39. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिए जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम 1974 में विहित प्रावधानों, के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

40. फर्म/प्लेसमेंट ऐजेंसी की RTPPA 2012, RTPPR 2013, एवं GR & AR में उपलब्ध प्रावधान की पालना करनी होगी तथा उल्लंघन पर प्रावधानानुसार कार्यवाही/भास्ति/पेनल्टी वसूली जावेगी।

41. श्रमिकों को लाने, ले जाने, आदि कार्य व अन्य श्रमिक क्षति होने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।

42. चौकीदार/लेवर आदि अपनी उपस्थिति प्रत्येक माह कार्य से संबंधित अधिकारी/कर्मचारी से सत्यापित करायेगा। अधिकारी/कर्मचारी के सत्यापन के पश्चात् ही उस माह का मानदेय देय होगा।

43. किसी भी प्रकार के विवाद के निपटारे हेतु विवाद का न्यायिक क्षेत्र जयपुर होगा।

44. किसी भी शर्त की पूर्ववत पालना न होने पर निविदा किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का होगा।

45. माहवार कार्य की गणना 26 दिवस (श्रम विभाग राजस्थान सरकार अधिसूचना क्रमांक/एफ. 5(6)/न्यू.म. /श्रम/2000/पार्ट/1125 दिनांक 16.01.2018) के हिसाब से की जावेगी एवं नियमानुसार टीडीएस काटा जावेगा।

46. निविदा प्रपत्र भरने हेतु आधार/पैनकार्ड होना आवश्यक है (जिसकी स्व हस्ताक्षरित सत्यापित प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करें)।

47. निविदाता/फर्म को बिड सिक्यूरिटी के संबंध में घोषणा–पत्र (Form of Bid-Securing Declaration) श्रीमान अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, झिलाई के नाम निविदा प्रारूप के साथ प्रस्तुत करना होगा।

48. कार्यो का भुगतान संतोषजनक होने पर ही हर एक माह का भुगतान देय होगा किसी भी लापरवाही के चलते व अनुपस्थिति की अवस्था में दैनिक वेतन काटने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।

49. किसी भी समय आकस्मिक निरीक्षण के दौरान यदि श्रमिक कार्यालय से अनुपस्थित पाया जाता है या कार्य मे लापरवाही पायी जाती है तो उसके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जावेगा।

50. उपरोक्तशर्तों की सहमति दो गवाहों से सत्यापित करवाकर रु0 50.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र लिखकर कार्यालय में देना होगा।

51. यह ठेका किसी अन्य फर्म को हस्तांतरित नहीं किया जावेगा तथा जिस फर्म के नाम का ठेका है वही कार्य करेगी अन्य कोई नहीं। फर्म खुद श्रमिक लगाकर इन कार्यो को करवा सकती है जिसका भुगतान फर्म अपने स्वंय के मासिक भुगतान में से करेगी।

52. सभी श्रेणी के श्रमिक आपूर्ति हेतु प्रपत्र मे दी गई दरें 31 जुलाई, 2025 तक के लिए मान्य होंगी, जिसे आपसी सहमति से 3 माह के लिए प्रचलित दरों पर बढ़ाया जा सकता है।

53. महाविद्यालय में प्रतिदिन चाहने वाले श्रमिक उपलब्ध करवाने हेतु निविदाकर्ता बाध्य होगा। यदि निविदाकर्ता समय पर श्रमिक उपलब्ध नहीं करवाता है तो कार्य को देखते हुए महाविद्यालय अपने स्तर पर श्रमिकों की व्यवस्था करेगा तथा अतिरिक्त राशि का श्रमिकों को किया गया भुगतान ठेकेदार को करना होगा।

54. किसी भी ब्लैक लिस्टेट फर्म व जिस फर्म का पूर्व में किसी भी तरह किसी संस्था व इस केन्द्र द्वारा उसका भुगतान काटा गया हो तो वह इस कार्य के ठेके में अपना आवेदन नहीं कर सकता।

55. समस्त भुगतान स्वीकृत फर्म/प्लेसमेंट ऐजेन्सी को चैक/NEFT द्वारा किया जावेगा।

अधिष्ठाता
कृषि महाविद्यालय
(श्रीकन कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)
झिलाई, निवाई (टोंक)

56. श्रमिकों को संबंधित कार्य हेतु सभी श्रेणी के श्रमिक उपलब्ध करवाने बाबत इस कार्यालय द्वारा अग्रिम राशि देय नहीं होगी।
57. कार्यालय में श्रमिक आवश्यकतानुसार ही लगाऐ जाएगे व नियोजित करनें का अधिकार इस कार्यालय के पास सुरक्षित रहेगा। विश्वविद्यालय द्वारा स्थाई कर्मचारियों की नियुक्ति होने पर उन श्रमिको को हटाया जा सकता है।
58. मैं उपरोक्त शर्तो को पूर्ण करनें हेतु पाबन्ध रहुंगा।
59. अर्द्धकुशल श्रमिक के रूप में कार्य करनें वालें को पढ़ना व लिखना आना जरूरी है।
60, राजस्थान सरकार द्वारा दरों में किसी भी प्रकार का संशोधन किये जानें पर संशोधित दरें लागू होगी।
61. दो या दो से अधिक निविदादाताओं द्वारा दी गई दरों में यदि समानता हौती है तों अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, झिलाई द्वारा किया गया निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।
62. अलग–अलग कार्यो के लिए अलग–अलग फर्मो के न्यूनतम दरें प्राप्त होने पर निविदा का विभाजन नही किया जायेगा।
63. उक्त शर्तो को अध्ययन कर स्वीकार करनें के रूप में फर्म/प्लेसमेंट ऐजेन्सी हस्ताक्षर एवं मौहर कर दी है।
64. यदि कोई फर्म न्यूनतम दर पर प्रचलित मुद्रा में कुछ भी सर्विस चार्ज नही दर्शाती है तो ऐसी फर्म को Nonresponsive माना जायेगा।
65. इस टैंडर के लिए फर्म का औसत एक साल का टर्न ओवर रू. 15 लाख होना जरूरी है।

अधिष्ठाता
कृषि महाविद्यालय
(श्रीकन कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)
झिलाई, निवाई (टोंक)

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं मौहर

नोट– निविदा दो लिफाफा पद्धति में प्रस्तुत की जावेगी–

1. लिफाफा नं0 1 में फर्म/प्लेसमेंट ऐजेन्सी पंजीयन प्रमाण पत्र ESI/PF रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, बिड सिक्यूरिटी के सम्बंध में घोषणा–पत्र (Form of Bid-Securring Declaration) तथा DD/BC/GST पंजीयन प्रमाण पत्र एवं शर्ते इत्यादि प्रस्तुत की जानी है। इसके अपूर्ण होने पर लिफाफा नं0 2 नही खोला जावेगा।
2. लिफाफा नं0 2 में केवल दर प्रपत्र प्रस्तुत किया जाना है।

हस्ताक्षर निविदादाता

कृषि महाविद्यालय, झिलाई (लिफाफा नं. 2 में रखे)

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविधालय, जोबनेर)

वित्तीय निविदा प्रपत्र–2

विभिन्न श्रमिको की आपूर्ति के उपापन के लिए निविदा में दरें निम्नानुसार प्रपत्र मे प्रस्तुत की जायेगी ।

क्र. सं.	कार्य की प्रकृति	श्रमिको को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नही होगी मय.संख्या		सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर	EPF दर प्रतिशत (13.00 %)	ESI दर प्रतिशत (3.25%)	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि (5+8=9)
		कार्य हेतु आवश्यक मानक के साधन का प्रकार	न्यूनतम मजदूरी दर प्रतिदिन				सर्विसचार्ज	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अकुशल श्रमिक	अकुशल श्रमिक	259/–					
2	अर्द्धकुशल श्रमिक	अर्द्धकुशल श्रमिक	271/–					
3	कुशल श्रमिक	कुशल श्रमिक	283/–					
4	उच्च कुशल श्रमिक	उच्च कुशल श्रमिक	333/–					

निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर

तिथि पूर्ण पता एवं मोबाईल नम्बर

अधिष्ठाता

अधिष्ठाता
कृषि महाविद्यालय
(श्रीकन कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)
झिलाई, निवाई (टोंक)

प्रपत्र "अ'

फर्म/निविदाता का तीन वर्षीय वित्तीय विवरण

वित्तीय वर्ष	**ऑडिटेड बैलेंस शीट के अनुसार टर्न ओवर (रू.)**
2021-22	
2022-23	
2023-24	
योग	
ओसत टर्न ओवर प्रति वर्ष	
सी.ए. द्वारा प्रमाणित	

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय मोहर व दिनांक

अधिष्ठाता
कृषि महाविद्यालय
(श्रीकन कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)
झिलाई, निवाई (टोंक)

प्रपत्र–'ब'

निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते है कि हमने जिन कार्यालय की जहाँ कही भी श्रमिकों की आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में विगत 3 वर्षो में आपूर्ति Sub-Standard होने के कारण हमें किसी सरकारी विभाग/उपकम/कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नही किया गया है।

हम यह भी घोषणा करते है कि हमें किसी भी न्यायालय द्वारा सामान प्रदायगी में कोई वाद लम्बित नही हैं तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नही किया गया हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर

अधिष्ठाता
कृषि महाविद्यालय
(श्रीकन कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)
झिलाई, निवाई (टोंक)

प्रपत्र–'स'

Fall clause प्रमाण पत्र

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते है कि हमने जिन श्रमिको की जहॉ कही भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में प्रश्नगत निविदा के कम में अनुबन्ध अवधि में इस निविदा में प्रस्तुत दरों से कम दरों पर किसी भी विभाग, नियम, बोर्ड अन्य स्वायतशाषी संस्था आदि को श्रमिको की आपूर्ति की जाती है तो तद्नुसार ही विश्वविद्यालय से कम दरों पर भुगतान प्राप्त करनें के लिए सहमति प्रदान करता हूँ।

अधिष्ठाता
कृषि महाविद्यालय
(श्रीकन कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)
झिलाई, निवाई (टोंक)

निविदादाता के हस्ताक्षर

FORM NO.1

(See Rule 83)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement]

Act 2012

Appeal No. .... of ....

Before the .... (First /Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
   (i)Name of the appellant:
   (ii)Official address if any:
   (iii)Residential address:
2. Name and address of the respondent(s)
   (i)
   (ii)
   (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the Appellant proposesto be represented by a representative, the name and postal address of the representative:
5. Number of affidavist and documents enclosed with the appeal
6. Ground of appeal:..
   ....
   ....
   ....(Supported by an affidavit)
7. Prayer:...
   ....

Appellant's signature:

Place:

Date

अधिष्ठाता
कृषि महाविद्यालय
(श्रीकन कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)
झिलाई, निवाई (टोंक)